बलरामपुर पुलिस

हिन्दुस्तान

नाबालिग के दुष्कर्मी को दस साल कैद

अदालत से

बलरामपुर, संवाददाता। पचपेड़वा थाना क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/एएसजे राहुल सिंह की अदालत ने सोमवार को दोषी शमीम पुत्र शब्बीर को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

मॉनिटरिंग सेल प्रभारी विशाल पांडेय ने बताया कि 18 जून 2018 को पीड़िता के पिता ने पचपेड़वा थाने में तहरीर देकर कस्बा पचपेड़वा निवासी शमीम पुत्र शब्बीर पर उनकी पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। मामले की विवेचना निरीक्षक अवधेश राय ने की। पुलिस ने विवेचना के दौरान साक्ष्य और गवाहों के बयान दर्ज किए। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के माध्यम से आरोपी पर लगाए गए आरोपों को सिद्ध किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शमीम को दोषी ठहराया।